प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 02/2004</u>

याचिकाकर्ता: कुरुक्षेत्र सेना

बनाम

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 22/2004</u>

याचिकाकर्ता: नरेंद्र कुमार जैन

बनाम

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 43/2004</u>

याचिकाकर्ता: रावलमल जैन

बनाम

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 52/2004</u>

याचिकाकर्ता: **नरसिंह लाल माहेश्वरी एवं अन्य**

बनाम

उत्तरवादी: **छत्तीसगढ़ राज्य**

<u>निर्णय सुनाए जाने के लिए दिनांक को सूचीबद्ध करें 25/3/2010</u> को

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 02/2004</u>

अपीलार्थी: कुरुक्षेत्र सेना पुत्र बरजू सेना, आयु 53 वर्ष, रेलवे में सेवारत, निवासी संजय नगर रेलवे कॉलोनी मकान नं. 20, जगदलपुर जिला मध्य

बस्तर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य; द्वारा थाना अजाक जगदलपुर जिला मध्य बस्तर (छ.ग.) के माध्यम से

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 22/2004</u>

अपीलार्थी: नरेंद्र कुमार जैन पुत्र सूरजमल जैन, उम्र लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय: कपड़ा व्यापारी, निवासी पैलेस रोड संजय मार्केट के पास, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, पी.एस. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) के माध्यम से।

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 43/2004</u>

अपीलार्थी: रावलमल जैन पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जैन,

उम्र लगभग 67 वर्ष, व्यवसाय किराना दुकान, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोधघाट, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)।

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य; द्वारा थाना अजाक जगदलपुर जिला मध्य बस्तर (छ.ग.)

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 52/2004</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी: 1. नरसिंह लाल महेश्वरी पिता झूमर लाल महेश्वरी उम्र 43 वर्ष, निवासी दामोदर पेट्रोल पंप मोती तलबपरा के पीछे, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

2. बाबूलाल इनाड़ी पिता भूमर लाल उम्र 51 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोधघाट, जिला बस्तर (छ.ग.) जगदलपु

3. टी.अप्पल सूरी पिता राजनु उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी रेलवे कॉलोनी मकान नंबर 34-ख जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना परपा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

(एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थित: श्री आलोक देवांगन, दाण्डिक अपील क्रमांक 2/2004 में याचिकाकर्ता की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री जितेंद्र गुप्ता और श्री ऋषि राहुल सोनी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री राकेश साहू, दाण्डिक अपील क्रमांक 43/2004 में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वाई.सी. शर्मा, दाण्डिक अपील क्रमांक 52/2004 में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री राकेश कुमार झा, राज्य/प्रतिवादी के लिए उप-शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(25 मार्च, 2010 को पारित)

1. कुरुक्षेत्र सेना द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 2/2004, नरेंद्र कुमार जैन द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 22/2004, रावलमल जैन द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 43 और नरसिंह लाल माहेश्वरी, बाबूलाल इनाडी और टी. अप्पल सूरी द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 52/2004, सत्र प्रकरण क्रमांक 107/2002 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जगदलपुर के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.12.2003 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए, उन्हें इस सामान निर्णय द्वारा निराकृत जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उपरोक्त दाण्डिक अपीलें विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 107/2002 में दिनांक 10.12.2003 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध हैं, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख और 489 ग सहपठित धारा 120 ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माना न भरने पर नौ महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास और दो साल छह महीने का कठोर कारावास और 6000/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माना न भरने पर नौ महीने का अतिरिक्त

कठोर कारावास और अपीलकर्ता नरसिंह लाल, कुरुक्षेत्र सेना, बाबूलाल इनादी, रावलमल जैन और टी.अप्पल को दंडित किया था। सूरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग एवं धारा 120 ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा उनमें से प्रत्येक को क्रमशः दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा 7000/- रुपए जुर्माना अदा करने की दण्डित किया गई, तथा जुर्माना अदा न करने पर नौ माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की दण्डित किया गई।

3. दोषसिद्धि इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के, विशेष रूप से नकली नोटों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के आशय से सचेतन कब्ज़े के कारण, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है और दण्डित किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार अविधिकता कारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में है, कि रैनू (आ.सा.-4) जो रेलवे विभाग में गैंगमैन के पद पर कार्यरत है और तोकापाल में तैनात है, को अपने विभाग से वेतन मिला जिसमें 500/- रुपये के नोट थे, उसने 500/- रुपये के छुट्टे के लिए अपीलकर्ता नरेंद्र जैन से संपर्क किया, अपीलकर्ता नरेंद्र ने 100/- रुपये के 5 नोट दिए। नोट लेने के बाद रैनू (अ.सा.-4) चिकन की दुकान पर गया और 100/- रुपये का भुगतान किया, तब चिकन दुकानदार ने अन्य नोट दिखाने को कहा और

नोट देखने के बाद दुकानदार ने बताया कि नोट असली नहीं हैं और नकली हैं। वहाँ अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। फ्रेजरपुर थाना प्रभारी जी.एन. सिंह (अ.सा.-7) रेलवे थाना, तोकापाल के पास गश्त पर थे। रैनू (अ.सा.-4) ने उपरोक्त नकली नोटों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और देहाती नालशी (प्र.पी./15) दर्ज कराया। रैनू के पास से 5 नोट (प्र.पी./17) अर्थ जब्त किए गए। विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन से पूछताछ की और उसके पास से 500 रुपये के 13 नोट, 100 रुपये के 46 नोट, 50 रुपये के 12 नोट और 100 रुपये के 4 नोट (प्र.पी./19) जब्त किए। उन्होंने अभियुक्त नरसिंह लाल से प्र.पी./20 के तहत 500/- रुपये के 15 नोट, 100/- रुपये के 103 नोट, 50/- रुपये के 5 नोट, 10/- रुपये के 4 नोट, व्यक्तियों के नाम वाली 2 पर्चियाँ और 100/- रुपये के 5 नोट भी ज़ब्त किए। विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त के.के. सिन्हा से प्र.पी./21 के तहत 500/- रुपये के 5 नोट, 100/- रुपये के 24 नोट, 50/- रुपये के 3 नोट, 100/- रुपये के 2 नोट और 50/- रुपये के 4 नोट भी ज़ब्त किए। विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त रावलमल से 500 रुपये के 3 नोट, 100 रुपये के 19 नोट, 10 रुपये के 6 नोट और 500 व 100 रुपये के अन्य नोट जब्त किए। इसी प्रकार, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त टी.आर. सूरी से 500 रुपये के 13 नोट, 100 रुपये के 61 नोट, 50 रुपये का एक नोट, 10 रुपये के 9 नोट और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

100 रुपये के 5 नोट जब्त किए। विवेचना अधिकारी ने आरोपी बाबूलाल के पास से प्र.पी./23 के तहत 500/- रुपये के 19 नोट, 100/- रुपये के 100 नोट, 100/- रुपये के 96 नोट, 50/- रुपये के 100 नोट, 50/- रुपये के 19 नोट, 10/- रुपये के 39 नोट, 100/- रुपये के 3 नोट, 50/- रुपये के 4 नोट और कुछ व्यक्तियों के नाम वाली 4 पर्चियां जब्त कीं। प्र.पी./16 के तहत शून्य नंबर पर एफआईआर दर्ज की गई। अंततः प्र.पी./3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्र.पी./25 के तहत घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तारी मेमो प्र.पी./26 से पी./32 के तहत गिरफ्तार किया गया। जब्त नोटों को विवेचना के लिए महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र को प्र.पी./33 के तहत भेजा गया। रिपोर्ट प्र.पी./34 और पी/35, 100/- रुपये के 6 करेंसी नोट और 50/- रुपये के 3 करेंसी नोट एक ही नंबर के पाए गए और नकली थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को जगदलपुर स्थित सत्र न्यायालय, बस्तर को सौंप दिया। मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (**i**)

(**v**) से संबंधित था, इसलिए यह मामला अत्याचार निवारण अधिनियम, जगदलपुर के विशेष न्यायाधीश को सौंप दिया गया।

6. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जहाँ उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और संबंधित अपराध में खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया। अभियुक्तों ने बचाव पक्ष के गवाहों सुशील साहू (बचाव साक्षी-1), महेशचंद्र जोशी (बचाव साक्षी-2) का भी परीक्षण कराया। अभियुक्त रावलमल जैन ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में स्वयं का परीक्षण कराया अन्यत्र होने का अभिवाक कर और यह बयान दिया कि कथित घटना की तारीख यानी 22.12.2001 को वह वृंदावन कॉलोनी, जगदलपुर में स्थित अपने घर में मौजूद था, जहां पुलिस आई और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए और इस तरह उसने अपना बचाव किया। सुशील सिंह (बचाव साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कुछ लोग परपा में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने रंगे हाथों नकली नोट पकड़े हैं, रैनूराम और महेश जोशी भी मौजूद थे, वह महेश जोशी के साथ बैंक गए और कथित नोट बैंक अधिकारी को दिखाए, तब बैंक अधिकारी ने बताया कि नोट नकली हैं। उन्होंने पुलिस थाना फ्रेजरपुर को भी फोन किया। थाना प्रभारी फ्रेजरपुर वहां पहुंचे और

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामले की विवेचना की यहाँ दो लड़ाई हुई थी जब वे आरापुर गांव के पास से गुजर रहे थे, तो रैनू को नोट देने वाले व्यक्ति जीप से आ रहे थे, तभी पुलिस अधिकारी ने जीप को रोक लिया। रैनू ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जिन्होंने उसे नकली नोट दिए थे, फिर पुलिस उन व्यक्तियों को पुलिस थाना ले गई जहां प्र.पी./19 और पी./21 के तहत नोट जब्त किए गए, बचाव पक्ष के गवाह महेशचंद्र जोशी ने भी प्र.पी./19 और प्र.पी./21 की जब्ती की पुष्टि की।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान मामले में, सात आरोपियों को संयुक्त रूप से विचारित किया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर ने अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख और 489 ग सहपठित धारा 120 ख के तहत और अपीलकर्ता नरसिंह लाल, कुरुक्षेत्र सेना, बाबूलाल इनाडी, रावलमल जैन,

टी. अप्पल सूरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग सहपठित धारा 120 ख के तहत दोषसिद्ध किया है।

10. दाण्डिक अपील क्रमांक 22/2004 में अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र गुप्ता और श्री ऋषि राहुल सोनी ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए और 489 ग सहपठित धारा 120 ख के अंतर्गत अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष घटना के समय अपराध के घटक को साबित करने के लिए बाध्य था। उसने किसी व्यक्ति से बेचा या खरीदा या प्राप्त किया है या अन्यथा तस्करी की है या इसे असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि यह कूटरचित कुटकृत है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य था कि अपीलकर्ता के पास करेंसी नोट था, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि यह कूटरचित कुटकृत है और इसे असली के रूप में उपयोग करने का आशय था या इसे असली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे किसी आशय या ज्ञान के बिना, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के साथ पठित। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब्ती के समय अपीलकर्ताओं से कोई भी नकली नोट जब्त नहीं किया गया था, लेकिन करेंसी प्रेस नोट से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने जब्ती मेमो में हेरफेर किया है और जब्ती में नकली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नोटों की संख्या को बढ़ाया है और जब्ती मेमो का वह हिस्सा और साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार जैन के विद्वान् अधिवक्ता ने **एम. मम्मुट्टी बनाम कर्नाटक राज्य** [1]के मामले का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल उन्हें देखने से किसी को भी यह विश्वास नहीं होगा कि वे नकली थे और अभियुक्त के पास नकली नोट होने के किसी विशिष्ट प्रश्न के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए और 489 ग के तहत दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **उमाशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[2] के मामले पर भरोसा जताया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए और 489 सी के तहत अपराध का गठन करने के लिए मेन्स रीया आवश्यक घटक है और अभियोजन पक्ष को मेन्स रीया साबित करने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता के पास नकली मुद्रा नोट था, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि यह कूटरचित कुटकृत है और इस तरह के सबूत के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख और 489 सी के तहत कोई भी दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे योग्य नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[1] ए.आई.आर 1979 एस सी 1705

[2] (2001) 9 एससीसी 642

12. अन्य अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध नकली नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल करने की किसी भी साजिश को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के पास नकली नोट होने की बात भी साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 489ख और 489 ग सहपठित धारा 120ख के तहत कोई भी दोषसिद्धि या दंडादेश विधि के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलकर्ता-कुरुक्षेत्र सेना की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक देवांगन ने **वीरा स्वामी षणमुगम सुंदरम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य** [3]के मामले का हवाला दिया जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि कुटकृत नोट की जानकारी या कुटकृत नोट होने के तथ्य के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 489ख और 489ग के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **मदन लाल शर्मा बनाम राज्य** [4]के मामले का भी हवाला दिया जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि कुटकृत नोट रखने मात्र से अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने का भार नहीं

[3] 2001 क्री.एल.जे. 3787
[4] 1990 क्री.एल.जे. 215

आ जाता और यह मानने का ज्ञान या कारण साबित करना होगा कि नोट कुटकृत था। विद्वान अधिवक्ता ने उमाशंकर (पूर्वोक्त) के मामले का भी हवाला दिया।

14. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क को समझने के लिए, मैंने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, बचाव पक्ष ने प्र.पी./19 और पी/21 के गवाहों सुशील सिंह (बचाव साक्षी-1) और महेशचंद्र जोशी (बचाव साक्षी-2) का परीक्षण कराया है। प्र.पी./19 अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन से नकली नोटों के साथ असली नोटों की जब्ती है और प्र.पी./21 अपीलकर्ता नरसिंह से नकली नोटों के साथ असली नोटों की जब्ती है। सुशील सिंह (बचाव साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिनांक को कुछ व्यक्ति उसकी दुकान के सामने खड़े थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने रंगे हाथों नकली नोट पकड़े हैं। महेश जोशी (बचाव साक्षी-2), शिकायतकर्ता रैनू और डमरू सेठिया भी वहां मौजूद थे, फिर वे इन करेंसी नोटों के साथ बैंक गए बैंक के अधिकारी ने नोटों की विवेचना की और पुष्टि की कि कथित करेंसी नोट नकली थे और उन्होंने पुलिस थाना प्रेजेरपुर को भी सूचित किया और पुलिस थाना प्रेजेरपुर ने तुरंत बैंक में आकर रैनूराम से पूछताछ की, जिस पर रैनू राम ने बताया कि नारायण सिंह ने उसे नकली करेंसी नोट दिए हैं, फिर वे पीछा करते हुए चिलमिली की तरफ गए, उस समय कुछ लोग जीप से आ रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने जीप रोकी और रैनू

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

राम से पूछा कि नकली नोट किसने दिए हैं, रैनू राम ने व्यक्तियों की पहचान की, फिर वे सभी व्यक्तियों को पुलिस थाना ले गए। कुछ देर बाद, वह महेश जोशी के साथ पुलिस थाना गए जहां नोट जब्त कर लिए गए। उन्होंने आगे गवाही दी है कि जब वह महेश जोशी के साथ पुलिस थाना पहुंचे, उस समय सभी आरोपी व्यक्ति हिरासत में थे। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों से नोट जब्त नहीं किए हैं। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने सभी आरोपी व्यक्तियों से असली और नकली नोटों की जब्ती से संबंधित जब्ती मेमो प्र.पी./17 और पी/19 से पी/24 पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। उनके साक्ष्य से काफी हद तक पता चलता है कि रैनू ने उन्हें और बैंक अधिकारी और पुलिस को भी सूचित किया है कि इन आरोपियों ने उन्हें नकली नोट दिए हैं। पुलिस अधिकारी आरोपियों को पुलिस थाना ले गए जहां जब्ती मेमो तैयार किए गए महेशचंद्र जोशी (बचाव साक्षी-2) ने प्र.पी./19 और पी/21 पर और प्र.पी./17 से पी/24 पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उन्होंने आरोपी नरेंद्र कुमार जैन और रैनू राम की पहचान की है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि अलग-अलग आरोपियों से करेंसी नोट जब्त किए गए थे, हालांकि उन्होंने जब्ती मेमो पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। दोनों व्यक्तियों के साक्ष्य से पता चलता है कि जब्ती के समय और घटना के समय, पुलिस ने अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और उन्होंने जब्ती मेमो और दस्तावेजों पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर किए थे। अपीलकर्ता रावलमल जैन ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में धारा 315 के तहत स्वयं का परीक्षण कराया है और यह बयान दिया है कि 17.12.2001 से पहले 19.12.2001 तक वह जगदलपुर में मौजूद नहीं थे और वह अपने इलाज में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने 22.12.2001 को जगदलपुर में अपनी उपस्थिति स्वीकार की है। उन्होंने पुलिस थाने में आरोपियों की उपस्थिति से इनकार किया है, लेकिन अन्य बचाव पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है और पुलिस थाने में सभी आरोपियों की उपस्थिति को स्वीकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. रैनू (अ.सा.-4) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 22.12.2001 को रेलवे अधिकारी वेतन भुगतान के लिए आये, उसे वेतन मिला, उसने नरेंद्र कुमार जैन से 500 रुपये के नोट के के छुट्टे मांगे, तो नरेंद्र कुमार जैन ने उन्हें 100 रुपये के 5 नोट दिए। पांच नोटों में से, उन्होंने 100 रुपये का एक नोट चिकन दुकानदार को दिया। उसने अन्य नोट मांगे और यह भी पूछा कि उसने किससे प्राप्त किया है और यह भी बताया कि करेंसी नोट नकली हैं, फिर उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी को बताया। अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया है कि अक्सर वह नरेंद्र कुमार जैन से पैसे लेते थे और उन्हें वापस भी करते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने 500 रुपये खोडिया सेठ को, 500 रुपये नरसिंह को और 500 रुपये नरेंद्र कुमार जैन को छुट्टे लेते हुए दिए हैं। एफआईआर से यह भी

पता चलता है कि वह डमरू, महेश जोशी और सुशील सिंह के साथ स्टेट बैंक गए थे। स्टेट बैंक के प्रबंधक ने भी विवेचना की है और बताया है कि करेंसी नोट असली नहीं हैं। शाखा प्रबंधक ने भी पुलिस थाना में फ़ोन किया अपीलकर्ता धन उधार देने का व्यवसाय चलाते थे, वे जीप से चिलमिली की ओर गए। हेमनाथ उर्फ डमरू (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि रैनू उसके पास आया और 100/- रुपये दिए, उसने करेंसी नोट देखा, करेंसी नोट का रंग गहरा था और सामान्य करेंसी नोट से मोटा था, तब उसने रैनू से पूछा कि उसने ये करेंसी नोट कहां से प्राप्त किए, रैनू ने उसे बताया कि उसने ये नोट छुट्टे के रूप में प्राप्त किए हैं। उसने कथित नरेंद्र जैन द्वारा दिए गए अन्य नोट भी पेश किए जो असली नहीं थे, फिर वह महेश जोशी के साथ स्टेट बैंक गया, स्टेट बैंक के अधिकारी ने उन्हें बताया कि करेंसी नोट नकली हैं। इस गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि रैनू ने किसी व्यक्ति या नरेंद्र जैन का नाम नहीं बताया है। हेमनाथ (अभियोजन साक्षी - २) के भाई अर्जुन सिंह सेठिया (अभियोजन साक्षी - ३) ने रैनू (अभियोजन साक्षी -४) के साक्ष्य की पुष्टि की है। इन गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि रैनू के पास मिले नोट असली नहीं थे और प्रथम दृष्टया, नोट नकली प्रतीत होते हैं। ईश्वर कुमार राजपाल (अ.सा.-6) प्रबंधक,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा तोकापाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 22.12.2001 को महेश चंद्र जोशी, हेमनाथ उर्फ डमरू, सुशील कुमार सिंह और कुछ अन्य व्यक्ति उनके बैंक आए और उन्होंने विवेचना के लिए 100 रुपये के तीन नोट दिखाए। विवेचना के बाद, उन्होंने उन्हें बताया कि प्रथम दृष्टया दिखने पर ये नोट असली नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने उन्हें कार्यालय समय पर आने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी।

16. मामले की विवेचना मुख्य रूप से जी.एन. सिंह (अ.सा.-7) ने की, जिन्होंने गवाही दी कि 22.12.2001 को तोकापाल में उन्होंने रैनू के कहने पर देहाती नालिसी प्र.पी./15 दर्ज की और एफ.आई.आर. प्र.पी./16 भी दर्ज की। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने रैनू से प्र.पी./17 के तहत 5 करेंसी नोट, एम. नारायणराव से प्र.पी./18 के तहत एक कमांडर जीप, अभियुक्त नरेंद्र जैन से प्र.पी./19 के तहत करेंसी नोट जब्त किए। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने अभियुक्त नरसिंह से प्र.पी./20, के.के.सिन्हा से प्र.पी./21, अभियुक्त रावलमल से प्र.पी./22, अभियुक्त टी.अप्पल सूरी से प्र.पी./23 के तहत करेंसी नोट जप्त किये अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया है कि घटना के समय वह गांव में गश्त पर थे और रैनू ने तोकापाल में घटना के बारे में उन्हें सूचित किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने प्र.पी./17 और पी/19 से पी/22 के तहत कोई

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करेंसी नोट जब्त नहीं किया है। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में स्वीकार किया है कि उन्होंने प्र.पी./21 के तहत आरोपी के.के. सिन्हा से करेंसी नोट जब्त किए थे। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 से 20 में विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने प्र.पी./17 से पी/24 के तहत अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग मूल्यवर्ग के नोट जब्त किए हैं और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने संबंधित आरोपी से उपरोक्त जब्ती में अतिरिक्त के रूप में उल्लिखित करेंसी नोट जब्त नहीं किए हैं। अनु-विभागीय अधिकारी डी.एस. उइके (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने विवेचना की है और करंसी नोट प्रेस, जेल रोड, नासिक को प्र.पी./12 के तहत विवेचना के लिए भेजे हैं और उन्हें प्र.पी./13 के तहत रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि विवेचना के लिए भेजे गए करंसी नोटों की तारीख क्या थी। 100 रुपये मूल्य के 29 करंसी नोट और 50 रुपये मूल्य के 10 करंसी नोट एक ही क्रमांक के थे। अभियोजन पक्ष ने एक अन्य अनु-विभागीय अधिकारी डी.आर.एस. उइके (अ.सा.-8) का भी परीक्षण कराया है, संभवतः उन्हें गवाह के रूप में अ.सा. -6 के रूप में परीक्षित किया गया था। उसने गवाही दी है कि उसने विवेचना की है। उसने गवाही दी है कि उसने करेंसी नोट को विवेचना के लिए करेंसी नोट प्रेस, जेल रोड, नासिक को प्र.पी./33 के तहत भेजा था और रिपोर्ट प्र.पी./34 और पी/35 हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले में, सबसे पहले आरोप तय किया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की क्षमता में गवाहों की विवेचना की गई थी, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त आरोप तय करने के बाद, इन गवाहों की फिर सेपरीक्षण किया गया, इसलिए, उन्होंने यह बयान दिया है कि करेंसी नोटों की रिपोर्ट प्र.पी./34 और पी/35 के रूप में है, लेकिन यह प्र.पी./13 और पी/14 के समान है, जिससे पता चलता है कि 100/- रुपये के 5 करेंसी नोटों की क्रमांक 6एन डी 335933 है, 100/- रुपये के 5 करेंसी नोटों की क्रमांक 6एन डी 335935 है, 100/- रुपये के 5 करेंसी नोटों की क्रमांक 6एन डी 335936 है, 100/- रुपये के 4 करेंसी नोटों की क्रमांक 2वीयु है 538839, 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 5 करेंसी नोटों पर एक ही क्रमांक 2वीयु 538840 अंकित थी और 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 5 करेंसी नोटों पर एक ही क्रमांक 2वीयु 538841 अंकित थी। रिपोर्ट प्र.पी./34 और पी/35 से यह भी पता चलता है कि 50/- रुपये मूल्यवर्ग के 4 करेंसी नोटों पर एक ही क्रमांक 5ई ई 954726 अंकित थी, 50/- रुपये मूल्यवर्ग के 4 करेंसी नोटों पर एक ही क्रमांक 5ई ई 954727 अंकित थी और 50/- रुपये मूल्यवर्ग के 4 करेंसी नोटों पर एक ही क्रमांक 5ई ई 954728 अंकित थी। कुल 100/- रुपये मूल्यवर्ग के 29 करेंसी नोट और 50/- रुपये मूल्यवर्ग के 10 करेंसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नोट एक ही क्रमांक के थे और वे असली नहीं थे और कूटकृत थे। अपीलकर्ताओं ने असली नोटों के अपने पास होने की बात स्वीकार की है, लेकिन अपनी जेबों से जब्त किए गए नोटों के अपने पास होने और उन्हें नकली पाए जाने की बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। जी.एन. सिंह (अभि.सा.-7) से प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने इस सुझाव का स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि उन्होंने अपीलकर्ताओं की अन्य जेबों से वे करेंसी नोट जब्त नहीं किए हैं जिनका उल्लेख जब्ती मेमो प्र.पी./17 और पी/19 से पी/24 में किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, यह नोट करना उचित है कि 22.12.2001 को जब्ती की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद, 31.1.2002 को अभियोग पत्र दायर किया गया था और उसी दिन यानी 31.1.2002 को अपीलकर्ताओं को अभियोग पत्र की प्रति भी दी गई थी। करेंसी प्रेस नोट को भेजे गए पत्र के साथ अभियोग पत्र और नोट के साथ करेंसी प्रेस नोट की विवेचना के लिए पत्र की प्राप्ति अभियोग पत्र के साथ दायर की गई थी, उस समय अभियोजन पक्ष के पास करेंसी नोट प्रेस की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। अभियोग पत्र दायर करने के लगभग 9 महीने बाद, 14 अक्टूबर, 2002 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से करेंसी नोटों की विवेचना करेंसी नोट प्रेस द्वारा की गई थी। यह पता चलता है कि विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अभियोजन पक्ष के पास जब्ती मेमो में छेड़छाड़ या जोड़ने का कोई अवसर

उपलब्ध नहीं था। प्रदर्शी पी/ के अनुसार, शिकायतकर्ता रैनू से ..... रुपये मूल्यवर्ग के ... नोट जब्त किये गए थे करेंसी नोट प्रेस प्रदर्शी.-13/35 के अनुसार, 6 एनडी और 2वीयू सीरीज़ के ये 5 करेंसी नोट अपनी बनावट और एक ही नंबर के एक से ज़्यादा करेंसी नोटों के कारण नकली थे और असली नहीं थे। प्र.पी./19 के अनुसार, नरेंद्र जैन की शर्ट के ऊपरी हिस्से से निम्नलिखित नंबरों वाले निम्नलिखित करेंसी नोट भी मिले:

i) रु.100/- मूल्यवर्ग 6एन डी 335935

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii) रु.100/- मूल्यवर्ग 6एन डी 335936

iii) रु.100/- मूल्यवर्ग 2वीयु 538840

iv) रु.100/- मूल्यवर्ग 2वीयु 538841

v) रु.50/- मूल्यवर्ग 5ई ई 934728

जो की रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार असली नहीं थे और कुटकृत थे। प्र.पी./20 के अनुसार, आरोपी नरसिंह लाल की जेब (शर्ट की जेब) से 6 एनडी 335933 और

6 एनडी 335935 क्रमांक वाले नोटों सहित अन्य करेंसी नोट भी जब्त किए गए, जो रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार असली नहीं थे और कुटकृत थे। प्र.पी./21 के अनुसार, के.के. सिन्हा की जेब से 100/- रुपये के दो अतिरिक्त नोट, 50/- रुपये के 4 अतिरिक्त नोट और 50/- रुपये के 4 करेंसी नोट भी मिले। उपरोक्त करेंसी नोटों में से 2 करेंसी नोट रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार क्रमांक 5ई ई 934726 और 5ई ई 934729 असली नहीं थे और कुटकृत थे। जब्ती प्र.पी./22 के अनुसार अन्य करेंसी नोटों के साथ, आरोपी रावलमल की जेब के दाहिने तरफ 6एन डी 335936, 6एन डी 335935 और 6एन डी 335933 नंबर वाले 3 करेंसी नोट पाए गए, जो रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार असली नहीं थे। प्र.पी./23 के तहत, आरोपी टी. अप्पल सूरी से 100/- रुपये मूल्य के 2वीयु 538840, 2वीयु 538840, 6 एनडी 335936, 6 एनडी 335935 और 6एन डी 335933 नंबर वाले 5 करेंसी नोट भी जब्त किए गए, जो असली नहीं थे और रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार कुटकृत थे। प्र.पी./24 के अनुसार आरोपी बाबूलाल के पास से उसकी कमीज की जेब से 100 रुपए के अन्य नोट तथा 50 रुपए के 4 नोट बरामद किए गए, जिन पर 2वीयू 538839, 2वीयू 538841 तथा 6एनडी 335933 नंबर अंकित थे, जो असली नहीं थे तथा रिपोर्ट प्र.पी.-13/35 के अनुसार नकली थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इन जब्ती ज्ञापनों से पता चलता है कि सभी अपीलकर्ताओं के पास असली करेंसी नोट थे और साथ ही उनके पास कुरकृत्य करेंसी नोट भी थे, जो वे अलग-अलग जेबों में रखे हुए थे, न कि अपीलकर्ताओं से भारी मात्रा में मिले अन्य करेंसी नोटों के साथ, जो उनके वेतन या अन्य प्राप्तियों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

20. रैनू (अभि.सा.-4) का साक्ष्य विश्वसनीय है, क्योंकि उसे 5 नोट मिले हैं। उसने नरेन्द्र जैन से 100 रुपये के नोट बदलने का अनुरोध किया और नरेन्द्र जैन ने उसे 100 रुपये के 5 नोट दिए, जिन्हें अंततः प्र.पी./17 के तहत जब्त कर लिया गया। उसके साक्ष्य की पुष्टि हेमनाथ उर्फ डमरू (अभि.सा.-2) और अर्जुन सिंह सेठिया (अभि.सा.-3) के साक्ष्य से होती है। हेमनाथ उर्फ डमरू (अभि.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि रैनू ने उसके सामने एक नोट पेश किया, जो देखने में प्रथम दृष्टया नकली लग रहा था। फिर पूछने पर रैनू ने बताया कि उसे ये नोट एक व्यक्ति से मिले हैं। रैनू ने 500 रुपये के नोट बदलने का अनुरोध किया और बदले में उसे ये नोट मिले हैं। जब्ती गवाह सुशील सिंह (ब.सा.-1) और महेशचंद्र जोशी (ब.सा.-2) ने जब्ती मेमो प्र.पी./17 और पी/19 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। पी/24. बचाव पक्ष के गवाह सुशील सिंह (ब. सा.-1) ने बचाव पक्ष के समर्थन में अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रैनू के पास करेंसी नोट थे, वे रैनू के साथ बैंक गए थे और बैंक मैनेजर ने विवेचना के बाद बताया कि नोट

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

असली नहीं थे, फिर उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस आई और वह रैनू के साथ चिलमिली की ओर गए, उन्होंने आरापुर में सभी व्यक्तियों को पकड़ लिया, वे गहरे रास्ते से आ रहे थे, रैनू ने उनकी पहचान की और उसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। कुछ देर बाद वे भी थाने पहुँचे और ज़ब्ती नोटों पर हस्ताक्षर किए, उस समय आरोपी हवालात में थे। उन्होंने अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग ज़ब्ती से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और कहा है कि सभी करेंसी नोट पहले से ही पुलिस अधिकारी की मेज पर मौजूद थे और पुलिस अधिकारी ने ज़ब्ती नोटों पर हस्ताक्षर लिए थे। अगर इस गवाह की गवाही पर गौर किया जाए, तो पता चलता है कि रैनू को किसी व्यक्ति से नकली करेंसी नोट मिले थे, जिसकी बैंक अधिकारी ने विवेचना की थी, फिर वे चिलमिली की ओर गए जहाँ वे व्यक्ति गए थे जिन्होंने रैनू को नकली करेंसी नोट दिए थे। जब वे आरापुर में चिलमिली की ओर जा रहे थे, तो कुछ लोग जीप से आ रहे थे। पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोका। रैनू ने पुलिस अधिकारी को बताया कि उसे इन लोगों से नकली नोट मिले हैं और उसके बाद, रैनू की निशानदेही पर कथित ज़ब्ती तैयार की गई। जब आरोपी रुके, तो वे हिरासत में थे और उनके नाम से ज़ब्ती तैयार की गई, जिसमें सुशील सिंह (ब.सा.-1) और महेशचंद्र जोशी (ब.सा.-2) ने ज़ब्ती मेमो पर अपने हस्ताक्षर किए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे। प्र.पी./17 और पी/19 से पी/24 छोटे कागज़ नहीं हैं। इन पर भारी मात्रा में नोट और अन्य चीज़ें हैं।

21. इन गवाहों ने यह गवाही नहीं दी है कि अगर आरोपियों से नोट ज़ब्त नहीं किए गए थे, तो उन्होंने ज़ब्ती मेमो पर हस्ताक्षर क्यों किए और ऐसी कौन सी मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ थीं। उन्होंने यह गवाही नहीं दी है कि उन्हें कोई धमकी या डर था, दूसरे शब्दों में, सुशील सिंह (ब.सा.-1) की गवाही से पता चलता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा थाने आने का निर्देश देने का मतलब है कि उन्हें पुलिस के पास जाने के बजाय अपने घर जाने का पर्याप्त अवसर मिला था। इन परिस्थितियों में, सुशील सिंह (बचाव साक्षी-1) और महेशचंद्र जोशी (बचाव साक्षी-2) के साक्ष्य से पता चलता है कि वे विभिन्न अभियुक्तों से करेंसी नोटों की स्वतंत्र जब्ती से संबंधित सच्चाई को छिपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब्ती से पहले और बाद में अपनी उपस्थिति स्वीकार की है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. इन परिस्थितियों में, जी.एन. सिंह (अ.सा.-7) का साक्ष्य मूलतः विचारार्थ शेष है। वह एक पुलिस अधिकारी हैं। केवल इस आधार पर उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता कि वह एक पुलिस अधिकारी हैं और मामले के परिणाम में उनकी रुचि है। पुलिस अधिकारियों के बयानों के साक्ष्य मूल्य जैसे प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **अनिल उर्फ अंद्या सदाशिव नंदोसकर बनाम**

महाराष्ट्र राज्य [5]के मामले में यह माना है कि पुलिस अधिकारियों की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि वे पुलिस अधिकारी हैं। हालाँकि, उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक विवेचना की जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि पंच गवाहों से पूछताछ न करने का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए, तो गवाहों का पुलिस अधिकारी होना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा नहीं करता। उक्त निर्णय का पैरा 5 इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"वास्तव में, तलाशी और ज़ब्ती के समर्थन में जिन पाँच अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई है, वे सभी छापा मारने वाली टीम के सदस्य थे। वे सभी पुलिस अधिकारी हैं। हालाँकि, ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाए या उनमें कोई अंतर्निहित कमज़ोरी हो। हालाँकि, विवेकशीलता की माँग है कि मामले के परिणाम में रुचि रखने वाले पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक विवेचना की जाए और स्वतंत्र रूप से उनका मूल्यांकन किया जाए। पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने में किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त नहीं हैं और केवल यह तथ्य कि वे पुलिस अधिकारी हैं, अपने आप में उनकी

[5] (1996) 2 एससीसी 589

विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं पैदा करता। हमने सभी पाँचों पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उनमें से किसी ने भी अपीलकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया था और लेने के बावजूद, उनके साक्ष्य पूरी तरह से अडिग रहे। इन गवाहों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलकर्ता को पकड़ने के लिए किस जाल में फँसाया गया था और उसे कैसे पकड़ा गया था। अपीलकर्ता से हथियारों की तलाशी और जब्ती के संबंध में उनका साक्ष्य सीधा, सुसंगत और विशिष्ट है। यह विश्वास दिलाता है और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपने साक्ष्य में कोई गंभीर, घातक तो दूर की बात, कमी नहीं बता पाए हैं। हमारी राय में, अपीलकर्ता के सचेतन कब्जे से तलाशी और देसी रिवॉल्वर की जब्ती का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है। दो पंच गवाहों का परीक्षण न किये जाने का अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जो अ.सा. 4 पीआई गायकवाड़ द्वारा दायर रिपोर्ट प्रदर्श 24 द्वारा समर्थित है, संतोषजनक है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि छापा मारने वाले दल ने तलाशी के समय दो स्वतंत्र पंचों को अपने साथ शामिल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए और वे अभियोजन पक्ष के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप में शामिल हुए। उन्हें भी गवाह के रूप में उद्धृत किया गया और साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। हालाँकि, अभियोजन एजेंसी द्वारा उन्हें तामील करने के लिए किए गए परिश्रमी प्रयासों के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए प्रकरण में उनकी विवेचना नहीं की जा सकी। रिपोर्ट प्रदर्श में बताए गए तथ्यों के मद्देनजर। धारा 24, जिसकी सत्यता अभियोजन साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान लगभग निर्विवाद रही है, के अनुसार दोनों पंचों से पूछताछ न किए जाने को किसी अप्रत्यक्ष कारण से नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, वाद में उनके पेश न किए जाने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई आंच नहीं आई है। अभियोजन पक्ष पर इन गवाहों को रोके रखने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसने वाद में उन्हें ढूँढने और पेश करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इस तथ्य के कारण असफल रहा कि तलाशी के समय वे अपने द्वारा दिए गए पते छोड़ गए थे और इस संबंध में किए गए अथक प्रयासों के बावजूद उनका पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, हमें अपीलकर्ता की गिरफ्तारी, छापा मारने वाले दल द्वारा तलाशी और ज़ब्ती, और अपीलकर्ता से देसी रिवॉल्वर और कारतूसों की बरामदगी से संबंधित अभियोजन पक्ष के विवरण की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता, जिसके लिए वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंच गवाहों से पूछताछ न किए जाने के कारण कोई लाइसेंस या प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। हम पाते हैं कि अ.सा. 1 से अ.सा. 5 तक के साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद हैं।"

23. इसके अलावा, **पी.पी. खरन बनाम केरल राज्य** [6]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पुलिस उपनिरीक्षक के अपुष्ट साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है।

24. जी.एन.सिंह (अ.सा.-7) का साक्ष्य विश्वास और विश्वसनीयता को प्रेरित करता है कि उन्होंने सभी आरोपियों से प्रदर्श 17 और पी/19 से पी/24 के तहत करेंसी नोट जब्त किए हैं। उनके साक्ष्य की पुष्टि सुशील सिंह (बचाव साक्षी-1) और महेशचंद्र जोशी (बचाव साक्षी-2) से होती है, विशेष रूप से जब्ती के समय सभी आरोपियों की उपस्थिति के संबंध में। करेंसी नोट प्रेस प्र.पी.-13/35 की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से पाए गए कुछ करेंसी नोट असली नहीं हैं और स्पष्ट रूप से कुटकृत हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि असली करेंसी नोटों से अलग पहचाने जाने योग्य करेंसी, विशेष रूप से क्रमांक की मात्रा, बहुत खराब थी, यह सामान्य करेंसी नोटों से थोड़ी मोटी थी। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[6] ए.आई.आर 2001 एससी 2420

आरोपियों के कब्जे से पाए गए करेंसी नोट मूल करेंसी नोटों से स्पष्ट रूप से अलग पहचाने जा सकते हैं।

25. यह आम बात है कि जब आदमी को अपने कार्यालय या दुकान या अन्य स्रोतों से कुछ करेंसी नोट प्राप्त होते हैं, तो वह किसी भी उपकरण का उपयोग करके करेंसी नोटों की वास्तविकता की विवेचना या पूछताछ नहीं करता है और आमतौर पर वह अन्य करेंसी नोटों के साथ अपनी जेब या पर्स में रख लेता है।

26. केवल कुटकृत मुद्रा नोटों का कब्जा होना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख और 489 सी के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि कूटरचित कुटकृत मुद्रा नोट अभियुक्तों के पास उनकी जानकारी में थे और वे उन्हें असली के रूप में उपयोग करने के इरादे से मुद्रा नोटों को अपने कब्जे में रखे हुए थे या यह कि इसे असली के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान मामले में, सभी अपीलकर्ताओं के पास भी असली करेंसी नोट थे, लेकिन वे ये नोट अन्य जेबों में रखे थे। उनकी अलग-अलग जेबों में कुछ असली नोटों के साथ कथित नकली नोट भी मिले।

28. इस मामले की विशेषता यह है कि 100 रुपये के 5 नोटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी और प्रत्येक सेट में 5 नोट वाले नोटों के 5 सेटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी। इसी प्रकार, 100 रुपये के 4 नोटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी, 50 रुपये के 4 नोटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी, 50 रुपये के 3 नोटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी और 50 रुपये के अन्य सेटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी या कुटकृत या कूटरचित नोटों के आकस्मिक कब्जे के मामले में, यह मानना कठिन होगा कि व्यक्ति को यह ज्ञान था कि नकली नोट हैं और वह उन्हें असली के रूप में उपयोग करने के इरादे से अपने कब्जे में रखे हुए था, लेकिन इस मामले की विशिष्ट विशेषता यह है कि अपीलकर्ताओं ने इन नकली नोटों को अलग-अलग जेबों में रखा था और अधिकांश नोटों पर एक ही क्रमांक अंकित थी। अपीलकर्ता रेलवे कर्मचारियों को दिए गए अपने ऋण की वसूली के लिए वेतन के भुगतान की तिथि पर एक साथ जा रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इन परिस्थितियों में, इस बात का कोई स्पष्टीकरण न होने पर कि उनके पास अन्य उद्देश्यों के लिए नकली नोट थे, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके पास नकली नोट थे, क्योंकि वे जानते थे या उन्हें यह मानने का कारण था कि वे कूटरचित कुटकृत हैं और उन्हें असली के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे या यह कि उन्हें असली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रैनू का

साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन ने नकली नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल किया है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलकर्ताओं ने षडयंत्र के लिए अवैध समझौता किया था और अवैध समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कुटकृत मुद्रा नोट थे। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन पक्ष के बयान यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता नरेंद्र जैन के पास कुटकृत नोट थे और उन्होंने जानबूझकर उन्हें असली नोटों की तरह इस्तेमाल किया। उनके पास कुटकृत नोट भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे उन्हें असली नोटों की तरह इस्तेमाल करेंगे या उन्हें असली नोटों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 489ख और 489 ग के तहत और अपीलकर्ता नरसिंह लाल, कुरुक्षेत्र सेना, बाबूलाल इनादी, रावलमल जैन और टी. अप्पल सूरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग के तहत दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग सहपठित धारा 120ख के अंतर्गत अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि के समय, अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अभियोजन पक्ष ने आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड हेतु पर्याप्त

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं और आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपीलकर्ताओं के पास नकली मुद्रा नोट थे।

32. जहां तक सजा के प्रश्न का प्रश्न है, इस न्यायालय ने **रेमन उर्फ रमन, पुत्र हीरालाल भांडेकर एवं अन्य आदि बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[7] के मामले में पैरा 25 में निम्नानुसार अवधारित किया है: -

"25. जहां तक दंड का सवाल है, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया अपराध संप्रभुता के प्रतीक के विरुद्ध अपराध है और वाणिज्यिक लेन-देन की जड़ को प्रभावित करता है, जिसका अंततः देश के शासन पर प्रभाव पड़ता है। अपीलकर्ताओं को अधिनस्थ न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रुपये प्रत्येक के जुर्माने की दण्डित किया है। वे इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन की ओर से दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 22/2004 को तकनीकी आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग सहपठित धारा 120ख के तहत अपीलकर्ता नरेंद्र कुमार जैन की दोषसिद्धि को संशोधित किया जाता है और इसके स्थान पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ग के तहत दोषी ठहराया जाता

[7] 2008 क्री.एल.जे. 4755

है तथा उसे दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न भरने पर उसे ९ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख के तहत उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश बरकरार रखी जाती है। कुरुक्षेत्र सेना द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 2/2004, रावलमल जैन द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 43 और नरसिंह लाल माहेश्वरी, बाबूलाल इनाडी और टी अप्पल सूरी द्वारा दायर दाण्डिक अपील क्रमांक 52/2004 को भी तकनीकी आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा सहपठित धारा 489 ग, सहपठित धारा 120ख के तहत अपीलकर्ताओं कुरुक्षेत्र सेना, रावलमल जैन, नरसिंह लाल माहेश्वरी, बाबूलाल इनाडी और टी अप्पल सूरी की दोषसिद्धि को संशोधित किया गया है और इसके बजाय, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 489 सी के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और उन्हें दो साल और छह महीने के कठोर कारावास और 7000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है, अपीलकर्ता जमानत पर हैं, उन्हें सत्र प्रकरण क्रमांक 107/2002 में सजा की शेष अवधि काटने के लिए विशेष न्यायाधीश, जगदलपुर के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur